न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद

<u>आदेश</u>

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया गया है। अतः अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्व ारा आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा करायी जा चुकी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है।

आवेदक द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के उपरांत पत्रावली दाखिल दफतर की जाती है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।